न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी भावना गर्ग)
आर.ए.एस

प्रकरण सं. / वाद पत्र / एल.आर. / 28 / 2019

1. श्री गोपाल सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री महेन्द्र सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. श्री बलवीर सिंह पुत्र श्री देवी सिंह जाति राजपूत निवासी झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
4. कानकंवर पत्नि दशरथ सिंह जाति राजपूत झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. श्री महादेव पुत्र श्री मांगीलाल जाति जाट निवासी झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
2. श्री रोडू पुत्र श्री रूपा जाति जाट निवासी झबरकिया तहसील भिनाय जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय, तहसील भिनाय

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील अपीलाण्ट श्री धर्मवीर बामनिया **निर्णय दिनांक 21.06.2019**

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा झबरकिया के खसरा नं. 439 रकबा 0.18, 591 रकबा 0.19, 608 रकबा 0.60, 611 रकबा 0.06, 612 रकबा 0.13, 615 रकबा 0.16, 620 रकबा 0.06, 622 रकबा 0.14, 634 रकबा 0.11, 635 रकबा 0.11, 638 रकबा 0.16, 642 रकबा 0.34, 643 रकबा 0.35, 924 रकबा 0.16, 926 रकबा 0.06, 929 रकबा 0.29, 931 रकबा 0.46, 933 रकबा 0.28, 949 रकबा 0.30, 952 रकबा 0.13, 963 रकबा 0.25 किता 21 रकबा 4.52 हैं0 जो कि प्रार्थीगण के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 3 जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने पर कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 2 नोटिस तामिली बावजूद उपस्थित न होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने जवाब पत्र प्रस्तुत न करते हुए सीधे बहस किए जाने का निवेदन किया। दौराने बहस प्रार्थना पत्र पैरा सं. 1 मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया। प्रार्थना पत्र वास्ते पत्थरगढी क[illegible] न्यायोचित होना पाया गया। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीका[illegible] योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा घणा के खसरा नं. 439 रकबा 0.18, 591 रकबा 0.19, 608 रकबा [illegible] 60, 611 रकबा 0.06, 612 रकबा 0.13, 615 रकबा 0.16, 620 रकबा 0.06, 622 रकबा 0.14, 634 रकबा 0.1[illegible] 635 रकबा 0.11, 638 रकबा 0.16, 642 रकबा 0.34, 643 रकबा 0.35, 924 रकबा 0.16, 926 रकबा 0.06, 9[illegible] रकबा 0.29, 931 रकबा 0.46, 933 रकबा 0.28, 949 रकबा 0.30, 952 रकबा 0.13, 963 रकबा 0.25 किता [illegible] रकबा 4.52 हैं0 प्रार्थीगण की खातेदारी होने से भू–अभिलेख निरीक्षक– एकलसिंहा को 1,500/–रूपये (अक्ष[illegible] एक हजार पॉच सौ रु0 मात्र) फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके [illegible] अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से कम से कम तीन दिन पूर्व समस्त हितबद्ध पडो[illegible] खातेदारान को उक्त आराजीयात की पत्थरगढी की लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथी बाबत सूचित क[illegible] तथा मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से [illegible] हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(भावना गर्ग)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanju Meena
Date: 2020.02.24 16:33:33 IST
Reason: SelfAttested